

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 787 / 2014

संस्थित दि: 01 / 09 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

- (01) बिसनलाल पिता मोहनलाल सान्डील, उम्र 40 साल,
जाति साहू, साकिन कनराटोला (मण्डई) थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
- (02) विश्वनाथ पिता तन्मूसिंह धुर्वे, उम्र 29 साल, जाति गोंड,
साकिन तरमा तितरी थाना रेंगाखार (छ.ग.) आरोपीगण

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 01 / 09 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी बिसनलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/187 एवं आरोपी विश्वनाथ पर मोटरयान अधिनियम की धारा 77/177 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी बिसनलाल ने दिनांक 26.07.2014 को शाम के 06:30 बजे ग्राम कनराटोला (मण्डई) थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन न्यू नीले रंग के मुण्डा ट्रेक्टर, जिसका चेचीस नं. एन.एच.4275369, इंजन नं. डी.66997 है को तेजी एवं लारवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं संतोष धुर्वे को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी एवं आरोपी विश्वनाथ ने आरोपी बिसनलाल को यह जानते हुये कि उक्त वाहन पर नम्बर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उक्त वाहन चलाने हेतु उसे दिया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोष धुर्वे ने दिनांक 27.07.2014 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 26.07.2014 को शात कि 06:30 बजे उसकी पत्नी हिरोमाबाई के साथ उसकी ससुराल ग्राम जगला सायकिल से उसके घर बरबसपुर जा रहा था कि ग्राम मण्डई बाजार रोड के पास अधिक कीचड़ होने की वजय से वह सायकिल से उतरकर पैदल उसकी साईड से आ रहा था कि ग्राम मण्डई तरफ से कजराटोला की ओर जा रहे नीले रंग के ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और उसको टक्कर मार दी, जिससे वह सायकिल सहित गिर गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रं. 98 / 14 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत मामला तैयार कर

आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीबण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 134ए,बी, 77/177 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी बिसनलाल को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/187 एवं आरोपी विश्वनाथ को मोटरयान अधिनियम की 77/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी बिसनलाल ने दिनांक 26.07.2014 को शाम के 06:30 बजे ग्राम कनराटोला (मण्डई) थाना बिरसा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन न्यू नीले रंग के मुण्डा ट्रेक्टर, जिसका चेचीस नं. एन.एच.4275369, इंजन नं. डी.66997 है को तेजी एवं लारवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी बिसनलाल ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर संतोष धुर्वे को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी बिसनलाल इसी दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी ?

(4) क्या आरोपी विश्वनाथ ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त वाहन आरोपी बिसनलाल को यह जानते हुये कि उक्त वाहन पर नम्बर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उक्त वाहन चलाने हेतु उसे दिया ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4

का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी बिसनलाल को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/17 एवं आरोपी विश्वनाथ को मोटरयान अधिनियम की धारा 77/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी बिसनलाल के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/187 एवं आरोपी विश्वनाथ को मोटरयान अधिनियम की 77/177 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी बिसनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/187 एवं आरोपी विश्वनाथ को मोटरयान अधिनियम की 77/177 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(09) आरोपी बिसनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अन्तर्गत 1000/- (एक हजार) रुपये एवं 337 के अंतर्गत 500/- (पांच सौ) रुपये एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134(क)/187 के अन्तर्गत 500/- (पांच सौ) रुपये एवं आरोपी विश्वनाथ धुर्वे को मोटरयान अधिनियम की धारा 77/177 में 100/- (एक सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डीत किया गया। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन नीले रंग के मुण्डा ट्रेक्टर, जिसका चेचीस नं. एन.एच.4275369, इंजन नं. डी.66997 है को उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट